केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ–227 107 (उत्तर प्रदेश)

Central Institute For Subtropical Horticulture

Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-227 107 (Uttar Pradesh)

E-mail : cish.lucknow@gmail.com   Web Site : www.cish.res.in

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.12.2015 को संस्थान के आर0 बी0 रोड कैम्पस के अमरूद के पेडों की जाडे की फसल की नीलामी खुली बोली के माध्यम से की जानी है। इस सम्बन्ध में इच्छुक केता को ई0 एम0 डी0 की राशि रू0 4,000.00 नीलामी से पूर्व जमा जमा करनी होगी। इस सम्बन्ध में ;नियम व शर्ते नीलामी स्थल पर सूचित की जायेंगी व संस्थान की website : www.cish.res.in पर उपलब्ध हैं।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान,

(भा. कृ. अनु. परिषद)

रहमानखेड़ा, लखनऊ

फा.सं. 63-3/M   दिनांक   .12.2015

नीलामी की शर्ते

1. सर्वोच्च बोली बोलने वाले व्यक्ति का प्रस्ताव संस्थान द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक होने पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा।

2. जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकार होगी उसे बोली की धनराशि का 1/3 भाग उसी समय उपस्थित अधिकारियों के पास जमा करानी होगी। नीलामी की फसल उठाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब पूर्ण धनराशि संस्थान के खाते में जमा कर दी जायेगी।

3. नीलाम हुई फसल की देख–रेख की पूर्ण जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसके नाम बोली छूटेगी।

4. ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक श्रम कानून की सब धराओं का पालन करेगा व उसकी अवहेलना करने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध में संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

5. फसल तोडने की अन्तिम तिथि नीलामी स्थल पर सूचित की जायेगी।

6. उक्त फसल उठाते समय संस्थान की किसी भी सम्पत्ति की यदि क्षति होती है तो उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जायेगी जिसके नाम बोली स्वीकृत होगी।

7. फसल फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास फार्म प्रभारी से प्राप्त करने के उपरान्त सुबह 9.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक ले जा सकते है।

8. बिना कोई कारण बताए नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न होने की अवस्था में प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10. किसी भी विवाद होने की अवस्था में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

11. जिसके पक्ष में नीलामी छूटेगी, वह ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को ठेका हस्तानान्तरित नहीं कर सकेगा है। ऐसा करने पर उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12. नीलाम फसल की तुड़ाई एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संस्थान किसी भी प्रकार की चोरी तथा दैवीय आपदाओं जैसे बीमारी, पशु–पक्षी कीट एवं बीमारी से होने वाली क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

13. कार्य अवधि के दौरान संस्थान की किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । क्षति का आकलंन निदेशक, के0उ0बा0सं0 द्वारा किया जायेगा तथा वही मान्य होगा और उस क्षति की क्षतिपूर्ति ठेकेदार की ई0एम0डी0 तथा परफॉरमेंस सिक्योरिटी से की जायेगी।

14. फसल ले जाने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का इन्द्राज गेट पर कराना होगा तथा वापस जाते समय गेट पास पर अंकित कराना होगा।

15. र्स्वोच्च बोली बोलने वाले व्यक्ति को दिनांक 09.12.2015 से एक सप्ताह के भीतर परफारमेंस सिक्योरिटी के रूप में कुल बोली का 10% संस्थान में जमा करना होगा।

16. ठेकेदार को रोजमर्रा के होने वाले शोध कार्य, पौधा रोपड़ इत्यादि से कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।

17. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले लेबरों का परिचय पत्र कार्यालय में प्रेषित करना होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी